छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020

क्रमांक एफ 20–70/2004/11–6 चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम–2002(यथा संशोधित 2020) में निम्नलिखित अनुसार संशोधन करती है, अर्थात् :–

(एक) छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम–2002 (यथा संशोधित 2020) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

1– **नियम–4 में उप नियम 4.3.2 सीमित निविदा पद्धति** के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"साधारणतः ऐसे समस्त आदशों के मामले में अपनाई जानी चाहिये जिसमें अनुमानित वार्षिक क्रय राशि रूपये 10,001 से 1,00,000 (रूपये दस हजार एक से रूपये एक लाख) तक हो । इसमें निर्माताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है । इसके लिये यदि विज्ञापन जारी किया जाये तो एक भारी राशि विज्ञापन पर खर्च होगी, इस लिये इससे बचने हेतु कम से कम तीन निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता (जिस बिभाग में प्रचलन हो) से सीमित निविदा के आधार पर किया जा सकेगा । परंतु वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टयां ***ई–मानक पोर्टल पर उपलब्ध न हो हेतु विभाग द्वारा नियम–4 में उपलब्ध प्रावधान का उपयोग कर उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा,*** *किन्तु ऐसे क्रय के लिये क्रेता विभाग को संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण विक्रेता की साख एवं एल–1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा ।"*

2– **नियम–4 में उप नियम 4.3.3** के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"खुली निविदा पद्धति *:–*

इस पद्धति में हमेशा लोक विज्ञापन द्वारा नियमानुसार खुली निविदायें बुलाकर करना चाहिये। निविदा बुलाने हेतु निम्नानुसार लोक विज्ञापन किया जावे :–

1–जहां निविदा का अनुमानित मूल्य रू. 1,00,001 से 2.00 लाख तक हो स्थानीय स्तर के बहुप्रचारित एक समाचार पत्र में ।

2–रू. 2.00 लाख से अधिक तथा रू. 10.00 लाख तक हो प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में ।

3–रू. 10.00 लाख से अधिक तथा रू. 20.00 लाख तक हो –प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में ।

4–रू. 20.00 लाख से अधिक –प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में ।

निविदा बुलाने की प्रक्रिया इन्टरनेट पर की जा सकेगी ।

परंतु, केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत क्रय के मामलों में संबंधित योजना में भारत सरकार द्वारा निर्देशित क्रय की निर्धारित/उल्लेखित प्रक्रिया होने पर उसका पालन किया जा सकेगा ।

परंतु, खुली निविदा पद्धति में आमंत्रित निविदाओं में दरों की पर्याप्त प्रतिस्पर्धा एवं तुलना सुनिश्चित् किये जाने के लिए यह आवश्यक होगा कि कम से कम तीन मूल निर्माताओं की ओर से निर्माता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा में हिस्सा लिया जा कर न्यूनतम तीन पात्र निविदाकारों का होना सुनिश्चित् किया जाना होगा ।"

" परंतु , सुरक्षा संबंधी उपकरणों वस्तुओं/सामग्री जिनमें एकल निर्माता से क्रय की स्थिति है, ऐसी वस्तुओं के क्रय हेतु गृह विभाग को नियमावली की कंडिका–4.3.3 के पालन से छूट प्रदान की जाती है। ऐसी सामग्रियों का क्रय गृह विभाग द्वारा विभागीय प्रशासकीय अनुमोदन के पश्चात् स्वयं के स्तर पर प्रक्रिया पूर्ण कर किया जा सकेगा।"

3– **नियम–11** के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"सामग्री का निरीक्षण इकाई द्वारा प्रदाय से पूर्व कराया जायेगा । प्राप्त किये जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता मानकों के अनुसार होने की जिम्मेदारी संबंधित प्रदायकर्ता व क्रेता विभाग की होगी एवं क्रेता विभाग प्रदायकर्त्ता इकाई को भुगतान सीधे ही करेंगे । विभागों को माल एवं बिल प्राप्ति के 20 दिवस के अंदर नियमानुसार बिल का भुगतान करना अनिवार्य है । भुगतान में अकारण विलंब होने पर विभाग द्वारा प्रचलित बैंक दर से ब्याज देय होगा ।

प्रदायित सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित् करने के लिये जिस स्थल पर सामग्री प्रदाय की गई है वहॉ पर भी निर्धारित प्रतिशत में चयनित गुणवत्ता संस्थाओं से सामग्री का निरीक्षण कराया जावे । इस स्थिति में प्रदाय स्थल पर निरीक्षण निश्चित समय (अधिकतम अवधि 10 दिवस) में पूर्ण कराया जाएगा, जिसकी जिम्मेंदारी क्रेता विभाग की होगी । समय–सीमा में गुणवत्ता निरीक्षण पूर्ण न होने की स्थिति में ऑनलाईन पोर्टल द्वारा उक्त गतिविधि को पूर्ण मानकर आगामी प्रक्रिया हेतु प्रकरण अग्रषित किया जायेगा।

ई–मानक पोर्टल के माध्यम से सामग्री का क्रय किये जाने की स्थिति में सामग्री प्राप्त हो जाने के 48 घण्टे के भीतर क्रेता को Provisional Receipt Certificate (PRC) जारी किया जाना आवश्यक होगा। प्राप्त सामग्री का सत्यापन किये जाने के उपरांत Consignee receipt-Acceptance Certificate (CRAC) जारी की जायेगी। यह (PRC) जारी होने की दिनांक से 10 दिनों के अंदर जारी किया जाना आवश्यक होगा । (CRAC) जारी होने की दिनांक से 10 दिनों के भीतर सामग्री का भुगतान क्रेता द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।"

(दो) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में जिन विभागों के द्वारा जेम के माध्यम से खरीदी की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है, उनके द्वारा प्रक्रिया को 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाए।

(तीन) यह सभी संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 20–70/2004/11–6 नवा रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपिः–

1– मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर ।

2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, समस्त विभाग .....मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3– संचालक, उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक–1, तेलीबांधा, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

4– प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, प्रथम तल, रिंग रोड क्रमांक–1, तेलीबांधा, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

5– समस्त कलेक्टर (छत्तीसगढ़) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

6– समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

7– नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर की ओर अग्रेषित । कृपया उक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 50 प्रतियॉ इस विभगा को उपलब्ध करने हेतु ।

प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग